दां.प्रकी.(जमा.) 4386/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री एस.सरूपरिया,
जन अभियोजक श्री ओ.पी. राठी उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि इस प्रकरण में लातो घुसो से मारपीट करना बताया गया है। अभियुक्तगण के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। अभियुक्तगण ने कत्ल करने के आशय से कोई मारपीट नहीं की है। अत: अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि दो चोटें वंशप्रदीप सिंह के आना बताई गई है जिनमें एक चोट साधारण है तथा दूसरी गम्भीर होना बताई गई है तथा वह छाती पर दर्द होना भी बताता है। अत: ऐसे प्रकरण में जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत हो चुकी है। चोटों की प्रकृति को देखते हुए, चूंकि हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लातों मुकों से मारपीट करना बताया गया है, प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण भगवानिया उर्फ भगवानलाल पुत्र रामलाल भील एवं गोवर्धन पुत्र नन्दा भील योग्य विचारण

न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा